



बौद्ध स्तूप (पटना)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक  
का  
मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राज्य का वित्त

बिहार सरकार  
वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 1

# विषय-सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यपालक सारांश		vii
<b>अध्याय 1 राज्य सरकार का वित्त</b>		
राज्य सरकार का परिचय	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य का संसाधन	1.2	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	6
संसाधनों का उपयोग	1.4	9
व्यय की गुणवत्ता	1.5	15
सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण	1.6	18
परिसंपत्ति एवं देनदारी	1.7	21
ऋण निर्वाहता	1.8	23
राजकोषीय असंतुलन	1.9	24
निष्कर्ष	1.10	27
अनुशंसारें	1.11	28
<b>अध्याय 2 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	29
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	30
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	30
बिना मिलान किया हुआ व्यय	2.4	36
निधि का अग्रिम निकासी	2.5	38
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	38
अनुदान संख्या 3 'भवन निर्माण विभाग' की समीक्षा	2.7	39
अनुदान संख्या 16- 'पंचायती राज विभाग' की समीक्षा	2.8	44
निष्कर्ष	2.9	47
अनुशंसारें	2.10	48
<b>अध्याय 3 वित्तीय रिपोर्टिंग</b>		
सार आकस्मिक व्यय से संबंधित बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों में संशोधन	3.1	49
सार आकस्मिक/सहायता अनुदान विपत्रों पर निधियों के आहरण तथा विस्तृत आकस्मिक विपत्रों/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा	3.2	50
सहायता अनुदान से संबंधित मुद्दे	3.2.10	60

# विषय-सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
प्रमाणीकरण के लिए कुछ प्राधिकरणों या निकायों के लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब		3.3	63
दुर्विनियोजन, गबन, कपटपूर्ण/आधिक्य भुगतान		3.4	63
बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष - 800 की कार्य प्रक्रिया		3.5	64
निष्कर्ष		3.6	64
अनुशासार्थ		3.7	65
<b>परिशिष्ट</b>			
1.1	राज्य का परिचय	1	67
1.2	भाग 'क' सरकारी लेखों की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	68
1.2	भाग 'ख' वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	68
1.3	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.)	1.1	70
1.3	राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी कार्य प्रणाली	1.1	71
1.4	वर्ष 2011-12 की प्राप्तिर्था एवं संवितरण का सार	1.1.1, 1.4.1	72
1.5	वर्ष 2011-12 के लिए बजट अनुमान यथा वास्तविकता	1.1.2	75
1.6	राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा हस्तांतरण	1.2.2	77
1.7	राज्य सरकार के कालश्रृंखला वित्त आंकड़े	1.3, 1.3.1.1, 1.4.1 एवं 1.9.1	78
1.8	31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं (लागत वृद्धि) की विवरणी	1.6.1	81
1.9	अवसूलनीय राशि	1.6.2 एवं 1.6.3	82
1.10	वर्ष 2011-12 के दौरान निधि का अग्रिम निकासी	1.6.4	83
1.11	31 मार्च 2012 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार	1.7.1	86
2.1	वैसे अनुदान/विनियोजन की विवरणी जहाँ प्रावधान के ₹ 10 करोड़ एवं 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत हुई	2.3.1	87
2.2	वैसे अनुदानों की सूची जहाँ वर्ष 2007-12 के दौरान सतत बचत हुए	2.3.2	88
2.3	विगत वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिन्हें विनियमित किया जाना आवश्यक है।	2.3.3	89
2.4	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	90
2.5	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.5	92
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.5	94
2.7	वर्ष के दौरान पर्याप्त अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का ₹ पाँच करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.6	96
2.8	शत प्रतिशत निधियों का अभ्यर्पण	2.3.6	99
2.9	प्रत्येक मामले में (₹ एक करोड़ या उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) अभ्यर्पित बचत की राशि	2.3.8	105

# विषय-सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.10	30 एवं 31 मार्च 2012 को ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामले	2.3.8	106
2.11	मार्च 2012 में सघन व्यय	2.3.9	108
2.12	वर्ष 2011-12 के दौरान (प्रत्येक मामले में) ₹ 10 करोड़ से ज्यादा की असमाशोधित राशि की विवरणी	2.4	109
2.13	निधि की अग्रिम निकासी एवं 31.03.2012 तक बैंक में रखी गई राशि	2.5	111
2.14	नित्य प्रयोजन के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी	2.6	114
2.15	भवन निर्माण विभाग का बजट अनुमान	2.7.1	117
2.16	31.03.2012 को अभ्यर्पित किये गये निधि का ब्यौरा	2.7.2	118
2.17	सघन व्यय	2.7.4	121
2.18	विभागीय व्यय आंकड़ों का असमाशोधन	2.7.5	122
2.19	वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान संख्या-16 (पंचायती राज विभाग) के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय, बचत आदि की विस्तृत विवरण	2.8	123
2.20	वृहत् बचत	2.8.1	124
2.21	पी.आर.डी. द्वारा सूचित बचत का अभ्यर्पण	2.8.3	125
2.22	अंतिम माह (मार्च 2012) में शत प्रतिशत व्यय	2.8.4	126
2.23	विभागीय व्यय आंकड़ों का समाशोधन नहीं होना	2.8.5	127
2.24	पी. आर. डी. द्वारा किया गया पुनर्विनियोजन का विवरण जिन्हें विस्तृत विनियोजन लेखा में प्रदर्शित नहीं किया गया	2.8.5	128
2.25	अंतिम माह (मार्च 2012) के दौरान निकासी की गई राशि जो 31 मार्च 2012 तक अव्यवहृत रही	2.8.6	129
2.26	मार्च 2012 में निकासी की गयी राशि जो अव्यवहृत रहा, की स्थिति का विवरण	2.8.6	130
2.27	वर्ष 2011-12 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत राशि की निकासी तथा व्यय का विवरण	2.8.6	132
3.1	सार आकस्मिक विपत्रों पर निधियों का आहरण लेकिन निष्पादी अभिकरणों द्वारा प्रतिधारण	3.2.6.4	133
3.2	सार आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर आहरित निधियों का प्रेषण शीर्ष में अव्ययित पड़े रहना	3.2.6.6	134
3.3	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के नमूना जाँच का परिणाम	3.2.7.1	135
3.4	सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित राशि का बिना उपयोग वापसी	3.2.8	137

## विषय-सूची

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
3.5	सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित निधि का सरकारी खातों से बाहर रखा जाना	3.2.9	138
3.6	सहायता अनुदान पर निधि का आहरण लेकिन कार्यान्वयन अभिकरणों के पास प्रतिधारित	3.2.10.3	139
3.7	सहायता अनुदान पर निधि का आहरण लेकिन कार्यान्वयन अभिकरणों के पास प्रतिधारित	3.2.10.3	140
3.8	प्रमाणीकरण हेतु संबंधित प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब	3.3	141
3.9	वर्ष 2011-12 के दौरान गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण तथा आधिक्य भुगतान के मामलों का विवरण	3.4	142
3.10	वर्ष 2011-12 के दौरान गबन, दुर्विनियोजन, चोरी, कपटपूर्ण तथा आधिक्य व्यय के मामलों का विवरण	3.4	143
3.11	लघु शीर्ष-800 “अन्य व्यय” के परिचालन में वृहत् व्यय (₹ 10 करोड़ तथा अधिक)	3.5	145
3.12	लघु शीर्ष-800 “अन्य प्राप्तियों” के परिचालन में वृहत् प्राप्ति (₹ 10 करोड़ तथा अधिक)	3.5	146